सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्वघोषणा।

बिन्दु संख्या–01

संगठन की विशिष्टियॉं, कृत्य और कर्तव्य।

प्रदेश के असहाय, सुविधाविहीन एवं कमजोर वित्तीय स्थिति वाले दिव्यांग व्यक्तियों के सर्वागीण विकास एवं उनके लाभ तथा सहायता के लिए बनाई गयी योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 12 अगस्त, 1995 को अलग से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का गठन किया गया।

निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0, इन्दिरा भवन लखनऊ में स्थित है।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के मुख्य कार्य निम्नवत् हैः–

1. दिव्यांगों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन।
2. दिव्यांग कल्याण के बारे में राज्य की नीति।
3. आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगों का सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।
4. दिव्यांग के विकास सम्बन्धी भारत सरकार की नीति एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
5. दिव्यांग कल्याण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय।
6. दिव्यांगों के कल्याण सम्बन्धी कार्यो हेतु अन्तर–विभागीय समन्वय।
7. सेवाओं में आरक्षण एवं सेवायोजन का पर्यवेक्षण।
8. दिव्यांगों के लिए सहायता तथा उपकरण।
9. दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण।
10. गैर सरकारी संस्थाओं/माता–पिता/सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों का दिव्यांगों के कल्याण सम्बन्धी प्रशिक्षण।
11. वाहृय सहायता एवं सहयोग।
12. गैर सरकारी संस्थाओं से दिव्यांगों के कल्याण कार्य के लिए सहायता एवं सहयोग।
13. राज्य एवं केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों एवं उनके संगठनों से दिव्यांग कल्याण के लिए सहयोग प्राप्त करना।
14. दिव्यांगों से सम्बन्धित योजनायें, आय–व्ययक तथा अन्य प्रशासनिक मामले।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन हितार्थ संचालित महत्वपूर्ण योजनायें/कार्यक्रम
(दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश)

- **दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण–पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना** :सभी पात्र निराश्रित दिव्यांग व्यक्ति, जिनकी आय गरीबी की रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा में हो एवं दिव्यांगता 40 प्रतिशत अथवा अधिक है, को रू0 1000/– प्रतिमाह की दर से दिव्यांग पेंशन दी जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वेबपोर्टल www.sspy-up.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।
- **कुष्ठावस्था पेंशन योजना** : कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांग जन जिनकी आय गरीबी की रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा में हो एवं दिव्यांगता का प्रतिशत चाहे कुछ भी हो को रू0 3000/– प्रति माह, की दर से अनुदान अनुमन्य है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वेबपोर्टल www.sspy-up.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।
- **कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना** :न्यूनतम् 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आय गरीबी की रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा में हो, को अधिकतम् रू0 10000/– तक के उपकरण (ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, बैशाखी, श्रवण यंत्र, कृत्रिम हॉथ/पैर, कैलिपर आदि) निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं।
- **दिव्यांगजन से शादी करने पर पुरस्कार** :शादी–विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत न्यूनतम् 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांग दम्पत्ति में से युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000/–, युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000/– तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000/– की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वेबपोर्टल www.divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।
- **दुकान निर्माण/संचालन योजना** :दुकान निर्माण/संचालन योजना के अंतर्गत न्यूनतम् 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन को दुकान निर्माण हेतु रू0 20,000/– एवं दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु रू0 10,000/– की धनराशि प्रदान की जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन www.divyangjandukan.upsdc.gov पद पर किया जा सकता है।
- **दिव्यांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान** :दिव्यांगता निवारण के लिए शल्य चिकित्सा हेतु राजकीय चिकित्सालय को उपलब्ध कराये गये अनुमानित व्यय के अनुसार अधिकतम रू0 10,000/– एवं श्रवण बाधित बच्चों के कॉक्लियर इम्प्लान्ट हेतु अधिकतम रू0 6.00 लाख प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान प्रदान किया जाता है।
- **उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को दिव्यांगजन की निःशुल्क बस यात्रा सुविधा** :–उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सामान्य श्रेणी की बसों में न्यूनतम् 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले सभी दिव्यांगजन अकेले तथा 80 प्रतिशत या उससे अधिक अथवा बहुदिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांगजन को एक सहवर्ती के साथ निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है।
- **डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ)** :दिव्यांगजन की उच्च शिक्षा को सुगम बनाने के दृष्टिगत जनपद लखनऊ में डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय संचालित है, जहॉ समस्त पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं।
- **विशिष्ट दिव्यांगजन को राज्य स्तरीय पुरस्कार** :प्रदेश के दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों/स्वतः रोजगाररत दिव्यांग व्यक्तियों, दिव्यांगजन के सेवायोजकों/संस्थाओं एवं उत्कृष्ट प्लेसमेंट अधिकारियों को प्रति वर्ष **'विश्व दिव्यांग**

दिवस 03 दिसम्बर के अवसर पर 12 श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। पुरस्कार के रुप में प्रदत्त श्रेणियों में रू0 25000/– की धनराशि दी जाती है।

- **दिव्यांगजन हेतु विशेष विद्यालयों का संचालनः–** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यागजन हेतु विशेष विद्यालय–प्रयास (शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये राजकीय विद्यालय– हाईस्कूल स्तर), संकेत (राजकीय मूक बधिर विद्यालय–जूनियर हाईस्कूल), ममता (मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं का राजकीय विद्यालय) तथा स्पर्श (राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय) व समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय (दिव्यांग बच्चों के साथ–साथ सामान्य बच्चों हेतु) का संचालन किया जा रहा है।

- **बचपन डे केयर सेन्टर्सः–** 03 से 07 वर्ष के श्रवणबाधित, मानसिक मंदित तथा दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के प्री–स्कूल रेडीनेस हेतु 18 मण्डलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेन्टर्स का संचालन किया जा रहा है।

बिन्दु संख्या–02

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य।

विभाग के नीतिगत प्रकरणों में शासन स्तर पर प्रशासनिक निर्णय हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग अधिकृत है।

निदेशालय स्तर पर विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन, अनुश्रवण तथा विभागीय अधिष्ठान से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 में निहित है।

मण्डल स्तर पर उपनिदेशक, मण्डलायुक्त के मार्गदर्शन में एवं जनपद स्तर पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में नियमानुसार योजनाओं के सफल संचालन हेतु कार्यरत है। इस हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों को आहरण–वितरण के अधिकार भी प्रदान किये गये है।

<u>बिन्दु संख्या–03</u>

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तर दायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

विभागीय योजनाओं के जिला स्तर पर संचालन का दायित्व जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी का है। जिला स्तरीय अधिकारी के कार्यो का अनुश्रवण एवं निरीक्षण करने का पर्यवेक्षणीय अधिकार मण्डलीय उपनिदेशक में सन्निहित है। मण्डलीय अधिकारियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्यो का मूल्यांकन/अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण मुख्यालय स्तर से आयोजित समीक्षा बैठको के माध्यम से निदेशक द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जिला स्तरीय बैठकों एवं मण्डलीय बैठकों में जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त द्वारा इनके कार्यो का अनुश्रवण किया जाता है।

<u>बिन्दु संख्या–04</u>

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान।

विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मासिक एवं त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किये गये है जिनके अनुसार योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का यह ध्येय होता है कि योजनाओं के कियान्वयन में समयबद्धता, पारदर्शिता का ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक कार्यो का निष्पादन किया जाय।

बिन्दु संख्या–05

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणांधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु शासन स्तर से योजनावार नियमावलियॉ/शासनादेश प्रख्यापित है उनमें अंकित प्राविधानों/निर्देशों के क्रम में ही योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसके साथ ही प्रदेश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 लागू किया गया है। भारत सरकार सहयोग से जिन योजनाओं का कियान्वयन किया जाता है वह भारत सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा संचालित किया जाता है।

बिन्दु संख्या–06

ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण, जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियंत्रण में हैं।

विभागीय योजनाओं के संचालन के लिए विभिन्न पंजिकायें/अभिलेख जिला स्तर पर संरक्षित करने की व्यवस्था है। उक्त अभिलेखों में योजना से संबंधित समस्त विवरण अंकित किया जाता है एवं यह समस्त अभिलेख/दस्तावेज जिला स्तरीय कार्यालयों में अभिरक्षित रहते है।

बिन्दु संख्या–07

किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।

विभागीय योजनाओं के सम्यक कियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में समितियॉ गठित है।

दुकान निर्माण एवं संचालन योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है उक्त कमेटी के द्वारा लाभार्थियों को चयनोपरान्त धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

बिन्दु संख्या–08

बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमे दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुक्रम में मा० मंत्री, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की अध्यक्षता में राज्य सलाहकार बोर्ड तथा विभागीय योजनाओं में प्राविधानित व्यवस्था के अनुक्रम में मा० मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पुरस्कार चयन समिति, उत्तर प्रदेश में दिव्यांगता निवारण के प्रचार–प्रसार हेतु अनुदान समिति एवं शल्य चिकित्सा अनुदान समिति का गठन किया गया है।

जनपद स्तर पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुक्रम में जिलास्तरीय दिव्यांगता समिति का गठन किया गया है।

बिन्दु संख्या–09

अधिकारी एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

निदेशालय के अधिकारियों के नाम व दूरभाष नम्बर

क्र०सं०	नाम	पदनाम	दूरभाष
01.	श्री भूपेन्द्र एस० चौधरी	निदेशक	0522–2287267
02.	श्री जयनाथ यादव	संयुक्त निदेशक	0522–2287267
03.	श्री पवन कुमार द्विवेदी	मु0 वित्त एवं लेखाधिकारी	0522–2287267
04.	श्री अमित कुमार सिंह	संयुक्त निदेशक	0522–2287267
05.	श्री रणजीत सिंह	संयुक्त निदेशक	0522–2287267
06.	श्री अमित कुमार राय	उप निदेशक	0522–2287267

विभाग का नाम :– दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0

क्र0सं0	विभिन्न वर्गों के पदों के पदनाम	1–4–2023 को विद्यमान स्वीकृत पद		कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	7वें वेतन आयोग के अनुसार		समूह क, ख, ग अथवा घ
		स्थायी	अस्थायी				सादृश्य वेतनमान	सादृश्य मैट्रिक्स लेवल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अनुदान संख्या–79								
	मुख्य लेखा शीर्षक:2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण								
	राजपत्रित								
1	संयुक्त निदेशक	2	1	3	3	**0**	78800–209200	12	क
2	प्रधानाचार्य, स्पर्श इण्टर कालेज	6	0	6	5	**1**	78800–209200	12	क
3	प्रधानाचार्य, समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय	0	4	4	0	**4**	78800–209200	12	क
4	उपनिदेशक	5	15	**20**	20	**0**	67700–208700	11	क
योग		**13**	**20**	33	**28**	**5**			
1	प्रधानाचार्य, हाई स्कूल (स्पर्श, संकेत, प्रयास)	5	0	5	2	**3**	56100–177500	10	ख
2	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी	75	0	**75**	37	**38**	47600–151100	8	ख
3	प्रधानाचार्य, जूनियर हाई स्कूल (संकेत)	3	0	3	3	**0**	47600–151100	8	ख
4	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1	1	**0**	44900–142400	7	ख
योग		**84**	**0**	**84**	**43**	**41**			
	अराजपत्रित								
1	प्रवक्ता, स्पर्श विद्यालयों हेतु	48	16	**64**	38	**26**	47600–151100	8	ग
2	प्रवक्ता, समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु	0	63	63	0	**63**	47600–151100	8	ग
3	प्रवक्ता, संकेत मूक बधिर बालक/बालिका इंटर कालेज	0	27	27	0	**27**	47600–151100	8	ग
4	सहायक लेखाधिकारी	2	0	**2**	2	**0**	44900–142400	7	ग
5	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	4	0	**4**	4	**0**	44900–142400	7	ग
6	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	1	0	**1**	0	**1**	44900–142400	7	ग
7	व्यवसायिक चिकित्सा विज्ञानी	2	0	**2**	0	**2**	44900–142400	7	ग

(प्रदीप कुमार) (संजीत कुमार मिश्रा) (निर्मल प्रसाद वर्मा)
वरिष्ठ सहायक

विभाग का नाम :– दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0

क्र0सं0	विभिन्न वर्गों के पदों के पदनाम	1–4–2023 को विद्यमान स्वीकृत पद		कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	7वें वेतन आयोग के अनुसार		समूह क, ख, ग अथवा घ
		स्थायी	अस्थायी				सादृश्य वेतनमान	सादृश्य मैट्रिक्स लेवल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (एल0टी0ग्रेड) (स्पर्श विद्यालय)	54	7	61	31	30	44900–142400	7	ग
9	अध्यापक एल0टी0 ग्रेड संकेत विद्यालय	29	4	33	14	19	44900–142400	7	ग
10	अध्यापक एल0टी0 ग्रेड प्रयास विद्यालय	4	0	4	2	2	44900–142400	7	ग
11	अध्यापक एल0टी0 ग्रेड ममता विद्यालय	4	0	4	3	1	44900–142400	7	ग
12	समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (एल0टी0 ग्रेड)	0	58	58	0	58	44900–142400	7	ग
13	समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के विशेष अध्यापक	0	22	22	0	22	44900–142400	7	ग
14	प्रबन्धक, ब्रेल प्रेस	1	0	1	0	1	44900–142400	7	ग
15	मनोवैज्ञानिक	2	0	2	0	2	35400–112400	6	ग
16	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	6	3	9	2	7	35400–112400	6	ग
17	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	1	0	1	0	1	35400–112400	6	ग
18	लेखाकार	64	0	64	9	55	35400–112400	6	ग
19	अधीक्षक	18	1	19	0	19	35400–112400	6	ग
20	विभागीय विद्यालयों के प्रशिक्षित अन्डर ग्रेजुएट जे0टी0सी0 अध्यापक (स्पर्श विद्यालय)	25	7	32	25	7	35400–112400	6	ग
21	विभागीय विद्यालयों के प्रशिक्षित अन्डर ग्रेजुएट जे0टी0सी0 संगीत अध्यापक (स्पर्श विद्यालय)	16	5	21	14	7	35400–112400	6	ग
22	प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम राजकीय विद्यालयों के प्रशिक्षित अन्डर ग्रेजुएट जे0टी0सी0)	4	0	4	2	2	35400–112400	6	ग

(संजीत कुमार सिन्हा)
वरिष्ठ सहायक

(विमल प्रसाद वर्मा)
वरिष्ठ सहायक

विभाग का नाम :– दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0

क्र0सं0	विभिन्न वर्गों के पदों के पदनाम	1–4–2023 को विद्यमान स्वीकृत पद		कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	7वें वेतन आयोग के अनुसार		समूह क, ख, ग अथवा घ
		स्थायी	अस्थायी				सादृश्य वेतनमान	सादृश्य मैट्रिक्स लेवल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	विभागीय विद्यालयों के प्रशिक्षित अन्डर ग्रेजुएट जे0टी0सी0 ग्रेड अध्यापक (ममता विद्यालय)	0	2	2	0	2	35400–112400	6	ग
24	विभागीय विद्यालयों के प्रशिक्षित अन्डर ग्रेजुएट (जे0टी0सी0) संकेत विद्यालय	0	24	24	0	24	35400–112400	6	ग
25	सहायक अध्यापक (एच0टी0सी0ग्रेड)	4	0	4	0	4	35400–112400	6	ग
26	फिजियोथेरेपिस्ट (ममता विद्यालय हेतु)	0	2	2	0	2	35400–112400	6	ग
27	स्पीच थेरेपिस्ट (संकेत् विद्यालयों हेतु)	0	8	8	0	8	35400–112400	6	ग
28	स्पीच थेरेपिस्ट (ममता विद्यालय हेतु)	0	2	2	0	2	35400–112400	6	ग
29	सांकेतिक भाषा इन्टरप्रेटर (साइन लैंग्वेज) (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों एवं संकेत विद्यालयों हेतु)	26	9	35	0	35	35400–112400	6	ग
30	कम्प्यूटर प्रशिक्षक (स्पर्श विद्यालय हेतु)	7	2	9	0	9	35400–112400	6	ग
31	कम्प्यूटर प्रशिक्षक (संकेत विद्यालय हेतु)	5	0	5	0	5	35400–112400	6	ग
32	कम्प्यूटर प्रशिक्षक (अस्थिबाधित विद्यालय हेतु)	2	0	2	0	2	35400–112400	6	ग
33	प्रधान सहायक	2	0	2	1	1	35400–112400	6	ग
34	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड 'ए' (ब्रेल प्रेस हेतु)	1	0	1	0	1	29200–92300	5	ग
35	सहायक लेखाकार	23	0	23	6	17	29200–92300	5	ग
36	प्रूफ रीडर	1	0	1	0	1	29200–92300	5	ग
37	वरिष्ठ सहायक	104	9	113	70	43	29200–92300	5	ग
38	मोबिलिटी अध्यापक (स्पर्श विद्यालय)	7	2	9	0	9	29200–92300	5	ग
39	पुस्तकालयाध्यक्ष (विभागीय विद्यालयों एवं समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	1	10	11	0	11	29200–92300	5	ग
40	नर्स / कम्पाउडर / हास्टल वार्डेन	13	7	20	1	19	29200–92300	5	ग

(संजीत कुमार सिन्हा) वरिष्ठ सहायक (विमल प्रसाद वर्मा) वरिष्ठ सहायक

विभाग का नाम :– दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0

क्र0सं0	विभिन्न वर्गों के पदों के पदनाम	1–4–2023 को विद्यमान स्वीकृत पद स्थायी	1–4–2023 को विद्यमान स्वीकृत पद अस्थायी	कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	7वें वेतन आयोग के अनुसार सादृश्य वेतनमान	7वें वेतन आयोग के अनुसार सादृश्य मैट्रिक्स लेवल	समूह क, ख, ग अथवा घ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	आशुलिपिक	0	12	12	0	12	29200–92300	5	ग
42	कम्प्यूटर प्रशिक्षक (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	0	7	7	0	7	29200–92300	5	ग
43	मोबिलिटी प्रशिक्षक (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	0	7	7	0	7	29200–92300	5	ग
44	छात्रावास अधीक्षक (महिला/पुरूष) (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	0	11	11	0	11	29200–92300	5	ग
45	छात्रावास अधीक्षक (विभागीय विद्यालयों हेतु)	8	0	8	1	7	29200–92300	5	ग
46	छात्रावास वार्डन (विभागीय विद्यालयों एवं समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	0	5	5	0	5	29200–92300	5	ग
47	सहायक लाइब्रेरियन	0	8	8	0	8	29200–92300	5	ग
48	व्यायाम शिक्षक	1	14	15	0	15	25500–81100	4	ग
49	शीघ्र पहचान ईकाई प्रशिक्षक (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	0	15	15	0	15	25500–81100	4	ग
50	व्यवसायिक प्रशिक्षण ईकाई प्रशिक्षक (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	0	11	11	0	11	25500–81100	4	ग
51	ब्रेल मुद्रण तकनीशियन (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	0	7	7	0	7	25500–81100	4	ग
52	प्रशिक्षक ग्रेड–3	3	0	3	3	0	21700–69100	3	ग
53	कनिष्ठ सहायक	112	30	142	90	52	21700–69100	3	ग
54	प्रयोगशाला सहायक(ममता–01, समेकित–12, संकेत–3)	1	15	16	1	15	21700–69100	3	ग
55	प्रोजेक्टर आपरेटर	1	0	1	0	1	21700–69100	3	ग

(संजीत कुमार सिन्हा)

(... प्रसाद वर्मा)
वरिष्ठ सहायक

विभाग का नाम :– दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0

क्र0सं0	विभिन्न वर्गों के पदों के पदनाम	1–4–2023 को विद्यमान स्वीकृत पद		कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	7वें वेतन आयोग के अनुसार		समूह क, ख, ग अथवा घ
		स्थायी	अस्थायी				सादृश्य वेतनमान	सादृश्य मैट्रिक्स लेवल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	सेल्समैन	1	0	1	1	0	19900–63200	2	ग
57	वाहन चालक (विशेष श्रेणी, ग्रेड–4, ग्रेड–3,ग्रेड–2)	14	0	14	6	8	19900–63200	2	ग
58	स्टोर कीपर (ब्रेल प्रेस)	1	0	1	0	1	19900–63200	2	ग
योग: (समूह 'ग')		**623**	**432**	**1055**	**326**	**729**			
	समूह 'घ'								
1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	226	0	226	46	180	18000–56900	1	घ
योग		**226**	**0**	**226**	**46**	**180**			
	महायोग	**946**	**452**	**1398**	**443**	**955**			

नोट:– निदेशक, संयुक्त निदेशक (पी0सी0एस0 संवर्ग), मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी व वित्त एवं लेखधिकारी (कुल 04) दूसरे विभाग से तैनात अधिकारी हैं, के नाम सम्मिलित नहीं किये जा रहे हैं।

कुल राजपत्रित पद–	117
कुल अराजपत्रित पद –	1281
योग:	1398

(प्रदीप कुमारी) वरिष्ठ सहायक (संजीत कुमार सिन्हा) वरिष्ठ सहायक (विमल प्रसाद वर्मा) वरिष्ठ सहायक

विभाग का नाम :दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0

क0सं0	7वे वेतन आयोग के अनुसार		पद संख्या
	सादृश्य वेतनमान	सादृश्य मैट्रिक्स लेवल	
1	निदेशक (आई0ए0एस0 संवर्ग)		1
2	संयुक्त निदेशक (पी0सी0एस0 संवर्ग)		1
3	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी (वित्त एवं लेखा संवर्ग)		1
4	वित्त एवं लेखाधिकारी (वित्त एवं लेखा संवर्ग)		1
3	78800—209200	12	13
4	67700—208700	11	20
5	56100—177500	10	5
6	47600--151100	8	232
7	44900—142400	7	193
8	35400—112400	6	247
9	29200—92300	5	236
10	25500—81100	4	48
11	21700—69100	3	162
12	19900—63200	2	16
13	18000—56900	1	226
	योग–		**1398**

नोटः– निदेशक,, अपर निदेशक,,मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी व वित्त एवं लेखधिकारी (कुल 04) दूसरे विभाग से तैनात अधिकारी हैं, के नाम सम्मिलित नहीं किये जा रहे हैं।

(विमल प्रसाद वर्मा)
वरिष्ठ सहायक

विभाग का नाम :दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0

प्रारूप–3

समूहवार पदों का विवरण

क0सं0	समूह	कुल पद संख्या
1	2	3
1.	क	33
2.	ख	84
3.	ग	1055
4.	घ	226
योगः		1398

नोटः– निदेशक, संयुक्त निदेशक (पी0सी0एस0 संवर्ग), मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी व वित्त एवं लेखधिकारी (कुल 04) दूसरे विभाग से तैनात अधिकारी हैं, के नाम सम्मिलित नहीं किये जा रहे हैं।

(संजीत कुमार सिन्हा)
वरिष्ठ सहायक

बिन्दु संख्या–11

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिर्पोटों की विशिष्टयॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

<u>वित्तीय वर्ष 2022–23 का आय–व्ययक</u>

बजट प्राविधान/जारी स्वीकृतियॉ/व्यय/का विवरण

विभाग का नाम :– दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग

(धनराशि लाख रूपये में)

क0 सं0	योजना का नाम	बजट प्राविधान	बजट प्राविधान अनुपूरक व पुनर्विनियोग सहित	शासन द्वारा जारी स्वीकृतियॉ	शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों का प्रतिशत	विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियॉ	विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों का प्रतिशत	व्यय कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष	समर्पित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राजस्व								
	2235 राजस्व पक्ष–79	132309.55	166436.21	163363.98	98%	161454.86	99%	144718.79	21717.42
	अनुदान संख्या–81 (एस0टी0)	2.00	2.00	2.00	100%	2.00	100%	2.00	0.00
	अनुदान संख्या 83(एस0सी0)	1140.00	1140.00	1140.00	100%	1140.00	100%	1123.04	16.96
	कुल योग राजस्व(79+81+83)	133451.55	167578.21	164505.98	98%	162596.86	99%	145843.83	21734.38

	पूँजीगत								
	4235 पूँजीगत पक्ष विद्यालयों का निर्माण एवं फर्नीचर आदि का कय	9341.45	9941.45	9103.49	92%	9103.49	100%	9099.79	841.66
	6235–निवेश/ऋण	79.53	79.53	79.53	100%	79.53	100%	79.50	0.03
	कुल योग पूँजीगत	9420.98	10020.98	9183.02	92%	9183.02	100%	9179.29	841.69
	वृहद योग	142872.53	177599.19	173689.00	98%	171779.88	99%	155023.12	22576.07

वर्ष 2022–23

31-03-2023

अनंतिम बजट प्राविधान/जारी स्वीकृतियों/व्यय/का विवरण

विभाग का नाम :– दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग

(धनराशि लाख रूपये में)

क0सं0	योजना का नाम	बजट प्राविधान	बजट प्राविधान अनुपूरक व पुनर्विनियोग सहित	शासन द्वारा जारी स्वीकृतियॉ	शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों का प्रतिशत	विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियॉं	विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों का प्रतिशत	व्यय कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष	समर्पित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या 79 लेखाशीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण							**(राजस्व)**		
1	0101–यूनीक डिसएबलिटी आईडेन्टिटी कार्ड–प्रोजेक्ट– 42 अन्य व्यय (के0100प्रतिशत)	39.15	39.15	0.00	0%	0.00	0%	0.00	39.15
2	03–मुख्यालय/मण्डल/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान	3027.41	3147.25	3147.25	100%	2808.75	89.24%	2627.11	520.14
3	04–विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आश्रित कर्मशालाए व प्रशिक्षण केन्द्र (लखनऊ, गोरखपुर, बॉंदा, आगरा, प्रयागराज, उन्नाव, मिर्जापुर)	233.55	220.50	220.50	100%	100.35	45.51%	99.06	121.44
4	05–शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक यन्त्र आदि खरीदने के लिये सहायता 20–सहायता अनुदान (सामान्य–गैर वेतन)	3500.00	3500.00	3500.00	100%	3428.72	97.96%	3228.60	271.40
5	06–मा0 मंदित विकलांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र बरेली, मेरठ एवं गोरखपुर का संचालन	167.42	175.53	175.53	100%	167.28	95.30%	165.50	10.03
6	07–नेत्रहीन मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान 20–सहायता अनुदान (सामान्य–गैर वेतन)	100000.00	133393.48	133393.48	100%	133393.48	100%	118410.70	14982.78
7	08–दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों का राज्य स्तरीय पुरस्कार	12.50	15.15	15.15	100%	15.15	100%	14.63	0.52
8	09–विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रतिपूति 20–सहायता अनुदान (सामान्य–गैर वेतन)	3000.00	3000.00	3000.00	100%	3000.00	100%	2491.02	508.98
9	10–विकलांगों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा व्यय के अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति 20–सहायता अनुदान (सामान्य–गैर वेतन)	1000.00	1000.00	1000.00	100%	1000.00	100%	728.73	271.27

क0सं0	योजना का नाम	बजट प्राविधान	बजट प्राविधान अनुपूरक व पुनर्विनियोग सहित	शासन द्वारा जारी स्वीकृतियॉं	शासन द्वारा जारी स्वीकृतियॉं का प्रतिशत	विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियॉं	विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियॉं का प्रतिशत	व्यय कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष	समर्पित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	11—मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित विकलांग जन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता 20—सहायता अनुदान (सामान्य—गैर वेतन)	500.00	967.22	960.30	99%	960.30	100%	960.30	6.92
11	12—डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चें की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण 42—अन्य व्यय	20.00	20.00	20.00	100%	20.00	100%	19.99	0.01
12	13—शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना 42—अन्य व्यय	26.51	26.51	26.51	100%	26.51	100%	25.20	1.31
13	14—विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों लिए राजकीय विद्यालयों/छात्रावासों का संचालन	3377.85	3440.47	3440.47	100%	2845.98	83%	2755.59	684.88
14	15—विकलांग जन आयुक्त कार्यालय की स्थापना	154.83	154.83	154.83	100%	154.83	100.00%	113.21	41.62
15	16—समेकित विशष माध्यमिक विद्यालयों का संचालन	443.80	443.80	443.80	100%	120.23	27.09%	106.80	337.00
16	17—राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय मोहान रोड के अन्तर्गत दृष्टिबाधितार्थ अध्यापकों हेतु प्रशिक्षणकेन्द्र की स्थापना 42—अन्य व्यय	4.00	4.00	4.00	100%	4.00	100%	3.99	0.01
17	18—"सिपडा" योजनान्तर्गत सार्वजनिक/विभागीय भवनों में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण तथा विभागीय वेब साइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना 42—अन्य व्यय	0.01	0.01	0.01	100%	0.00	0%	0.00	0.01
18	19—"सुगम्य भारत अभियान" योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जन उपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों की वेब साइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना 42—अन्य व्यय	20.00	20.00	20.00	100%	7.05	35%	7.05	12.95
19	20—शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल योजना 42—अन्य व्यय	3256.00	3256.00	3256.00	100%	2847.91	87%	2736.54	519.46
20	21—पालनहार योजना	2500.00	2208.90	0.00	0%	0.00	0%	0.00	2208.90
21	22—लखनऊ में ब्रेल प्रेस की स्थापना	23.23	42.33	42.33	100%	36.35	86%	36.33	6.00

क्र0सं0	योजना का नाम	बजट प्राविधान	बजट प्राविधान अनुपूरक व पुनर्विनियोग सहित	शासन द्वारा जारी स्वीकृतियॉं	शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों का प्रतिशत	विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियॉं	विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों का प्रतिशत	व्यय कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष	समर्पित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	23–उ0प्र0 जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट	200.00	200.00	50.00	25%	50.00	100.00%	50.00	150.00
23	24–कृत्रिम अंग एवं पुर्नावास केन्द्र का संचालन	400.00	400.00	300.00	75%	300.00	100.00%	300.00	100.00
24	25–कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना(मेरठ एव मुरादाबाद)	31.01	35.95	35.95	100%	33.21	92.39%	32.41	3.54
25	26–अमरावती पुरूषोत्तम बहुउद्देशीय विकलाग विकास संस्थान, वाराणसी	49.61	49.61	49.61	100%	34.22	68.98%	33.01	16.60
26	27–मानसिक मंदित बच्चो/विकलांगजन हेतुं मनोविकास केन्द्र, गोरखपुर	37.17	37.17	37.17	100%	36.93	99.35%	36.80	0.37
27	30–डा0 शकुन्तला मिश्रा, उ0प्र0 दिव्यांग विश्वविधालय	3541.88	3541.88	3375.22	95%	3375.22	100.00%	3375.22	166.66
28	31–बचपन–नर्सरी स्कूलों का संचालन	867.27	954.16	954.16	100%	947.63	99.32%	931.03	23.13
29	32–कुष्ठावस्था विकलांग भरण–पोषण अनुदान 20–सहायता अनुदान (सामान्य–गैर वेतन)	3950.00	4215.96	4215.96	100%	4215.96	100%	4082.67	133.29
30	34–विशेष विद्यालयों में विकलांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक विशेष शिक्षा 42–अन्य व्यय	85.00	85.00	85.00	100%	85.00	100%	84.98	0.02
31	35–दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन 42–अन्य व्यय	500.00	500.00	500.00	100%	500.00	100%	500.00	0.00
32	37–दिव्यांगता पर गठित सलाहकार बोर्ड की बैठक से सम्बन्धित व्यय हेतु 42–अन्य व्यय	2.35	2.35	2.35	100%	1.40	59.46%	1.36	0.99
33	38–जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र(डी0डी0आर0सी0) की स्थापना/संचालन 42–अन्य व्यय	400.00	400.00	0.00	0%	0.00	0.00%	0.00	400.00
34	107–03–विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं को सहायता 20–सहायता अनुदान (सामान्य–गैर वेतन)	35.00	35.00	35.00	100%	35.00	100.00%	29.97	5.03
35	800–03–शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा विकलांग से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार 20–सहायता अनुदान (सामान्य–गैर वेतन)	264.00	264.00	264.00	100%	264.00	100.00%	110.00	154.00

क0सं0	योजना का नाम	बजट प्राविधान	बजट प्राविधान अनुपूरक व पुनर्विनियोग सहित	शासन द्वारा जारी स्वीकृतियॉं	शासन द्वारा जारी स्वीकृतियॉं का प्रतिशत	विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियॉं	विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियॉं का प्रतिशत	व्यय कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष	समर्पित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	800–04–असहाय विकलांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान 20–सहायता अनुदान (सामान्य–गैर वेतन)	640.00	640.00	639.40	100%	639.40	100.00%	620.99	19.01
	योग 2235 राजस्व पक्ष	**132309.55**	**166436.21**	**163363.98**	**98%**	**161454.86**	**98.83%**	**144718.79**	**21717.42**
अनुदान संख्या 81 लेखाशीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण –02–796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (राजस्व)									
1	05–नेत्रहीन मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना) 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर–वेतन)	2.00	2.00	2.00	100%	2.00	100%	2.00	0.00
अनुदान संख्या 83 लेखाशीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण –02–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राजस्व)									
1	03–नेत्रहीन मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना) 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर–वेतन)	900.00	900.00	900.00	100%	900.00	100%	900.00	0.00
2	08–शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यन्त्र कय हेतु सहायता 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर–वेतन)	240.00	240.00	240.00	100%	240.00	100%	223.04	16.96
	अनुदान संख्या 83 योग	**1140.00**	**1140.00**	**1140.00**	**100%**	**1140.00**	**100%**	**1123.04**	**16.96**
अनुदान संख्या 79 4235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय–02–101 (पूँजीगत)									
1	101–विकलांगजन के लिए बाधारहित व्यवस्था हेतु "सिपडा–1995" का कियान्वयन(के0100प्रतिशत) 24 वृहत निर्माण कार्य	250.00	450.00	425.77	95%	425.77	100%	425.77	24.23
2	04–"सुगम भारत अभियान" योजना अन्तर्गत सरकारी कार्यालयों एवं जन उपयोगी भवनों को चिन्हित कर बाधारहित बनाया जाना (के0100प्रतिशत) 24 वृहत निर्माण कार्य	604.30	604.30	0.00	0%	0.00	0%	0.00	604.30

क्र0सं0	योजना का नाम	बजट प्राविधान	बजट प्राविधान अनुपूरक व पुनर्विनियोग सहित	शासन द्वारा जारी स्वीकृतियॉ	शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों का प्रतिशत	विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियॉ	विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों का प्रतिशत	व्यय कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष	समर्पित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	05– समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय, की स्थापना 24–वृहद निर्माण कार्य	2600.00	2042.68	1989.69	97%	1989.69	100%	1989.69	52.99
	26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र	375.00	490.00	490.00	100%	490.00	100%	486.29	3.71
	05–योग	**2975.00**	**2532.68**	**2479.69**	**83%**	**2479.69**	**100%**	**2475.98**	**56.70**
4	06–संकेत राजकीय मूकबधिर विद्यालय गोरखपुर में छात्रावास भवन तथा आवासीय भवनों का निर्माण– 24–वृहत निर्माण 26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र	92.60	52.60	27.13	29%	27.13	100%	27.13	25.47
5	07–संकेत राजकीय श्रवणबाधित बालिका इण्टर कालेज गोरखपुर 26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र	53.00	8.24	0.00	0%	0.00	0%	0.00	8.24
		0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
	07–योग	**53.00**	**8.24**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**8.24**
6	08–शासकीय एवं जनपोयागी भवनों में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण का सृजन 24–वृहत निर्माण कार्य	500.00	810.29	810.29	100%	810.29	100%	810.29	0.00
7	09–राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों का भवन निर्माण (नवीन) 24–वृहत निर्माण कार्य	800.00	800.00	781.57	98%	781.57	100%	781.57	18.43
8	11–स्पर्श राजकीय दृ0बा0 बालिका इन्टर कालेज की स्थापना 24–वृहद निर्माण कार्य	170.00	32.33	31.28	97%	31.28	100%	31.28	1.05
	26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र	25.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
	11–योग	**195.00**	**32.33**	**31.28**	**16%**	**31.28**	**100%**	**31.28**	**1.05**
9	13–स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इण्टर कालेज, 24–वृहत निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
9	14–स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक/बालिका विद्यालय बरेली 24–वृहत निर्माण कार्य	300.00	662.75	662.75	100%	662.75	100%	662.75	0.00
10	15–मानसिक मंदित बालक/बालिकाओं के लिये ममता विद्यालय 24–वृहत निर्माण कार्य	1300.00	1059.38	1037.31	80%	1037.31	100%	1037.31	22.07
11	16–संकेत राजकीय मूकबधिर कालेज, गोरखपुर 24–वृहत निर्माण कार्य	0.00	50.62	50.62	100%	50.62	100%	50.62	0.00
	17–समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों में स्टाफ हेतु आवास का निर्माण 24–वृहत निर्माण कार्य	1200.00	1594.57	1594.57	100%	1594.57	100%	1594.57	0.00
12	19–डा0 शकुन्तला मिश्रा उ0प्र0 दिव्यांग विश्वविघालय 24–वृहत निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00

क0सं0	योजना का नाम	बजट प्राविधान	बजट प्राविधान अनुपूरक व पुनर्विनियोग सहित	शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों	शासन द्वारा जारी स्वीकृतियों का प्रतिशत	विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों	विभाग द्वारा जारी स्वीकृतियों का प्रतिशत	व्यय कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष	समर्पित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	23–डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 2301–विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण 24–वृहत निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
13	23–डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 2301–विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र	100.00	340.62	340.62	100%	340.62	100%	340.62	0.00
	योग 2301	**100.00**	**340.62**	**340.62**	**100%**	**340.62**	**100%**	**340.62**	**0.00**
14	2302–कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना 24–वृहत निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
	26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
	23 02–योग	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0.00**
15	25–स्पर्श राजकीय बालक इण्टर कालेज, गोरखपुर 24–वृहत निर्माण कार्य	200.00	331.81	331.81	100%	331.81	100%	331.81	0.00
16	26–''प्रयास'' शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का राजकीय विद्यालय प्रतापगढ का भवन निर्माण 24–वृहत निर्माण कार्य	201.55	91.26	80.09	88%	80.09	100%	80.09	11.17
17	28–जनपद सोनभद्र में संकेत मूकबधिर बालकों के लिए राजकीय इन्टर कालेज 24–वृहत निर्माण कार्य	50.00	50.00	50.00	100%	50.00	100%	50.00	0.00
	26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र	25.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
	योग–28	**75.00**	**50.00**	**50.00**	**67%**	**50.00**	**100%**	**50.00**	**0.00**
18	29 जनपद कुशीनगर में संकेत मूकबधिर बालिकाओं के लिए राजकीय इन्टर कालेज 24–वृहत निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
	26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र	25.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00
	29–योग	**25.00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0%**	**0.00**	**0.00**
19	32–''ममता'' मानसिक मंदित बालिका विद्यालय, लखनऊ 24–वृहत निर्माण कार्य	70.00	70.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	70.00
20	33–मूकबधिर छात्र/छात्राओं हेतु संकेत जूनियर हाई स्कूल की स्थापना 24–वृहत निर्माण कार्य	400.00	400.00	400.00	100%	400.00	100%	400.00	0.00
	योग 4235 पूँजीगत पक्ष	**9341.45**	**9941.45**	**9103.49**	**97%**	**9103.49**	**100%**	**9099.79**	**841.66**
अनुदान संख्या 79 लेखाशीर्ष 6235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिऐ कर्ज –30–निवेश/ऋण (पूँजीगत)									
1	03–शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजना 30–निवेश/ऋण	79.53	79.53	79.53	100%	79.53	100.00%	79.50	0.03
	योग	79.53	79.53	79.53	100%	79.53	100.00%	79.50	0.03
	कुल योग	**142872.53**	**177599.19**	**173689.00**	**98%**	**171779.88**	**98.90%**	**155023.12**	**22576.07**

बिन्दु संख्या– 12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

विभाग द्वारा सहायतित कार्यक्रमों को विभिन्न नियमावलियों/शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर सम्पादित किया जाता है। समस्त लाभार्थियों को विधि सम्मत प्रक्रिया एवं विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर ही सहायता की धनराशि प्रदान की जाती है। समय–समय पर विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहें लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रमुख योजनाओं की वित्तीय/भौतिक उपलब्धि।

क्र0सं0	योजना का नाम	2022-23	
		वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
1	दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण–पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना	119346.30	964620
2	कुष्ठावस्था पेंशन योजना	4082.67	11257
3	विकलांगजन शादी–विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	110.00	420
4	दुकान निर्माण/संचालन योजना	104.70	1008
5	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना	3451.63	49111
6	शल्य चिकित्सा अनुदान योजना	621.00	200
7	दिव्यांगजन को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा	3219.74	-

वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रमुख योजनाओं की अद्यतन् वित्तीय/भौतिक उपलब्धि।

क्र0सं0	योजना का नाम	2023-24	
		वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति
1	दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण–पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) योजना	61367.71	1036670
2	कुष्ठावस्था पेंशन योजना	2055.66	11225
3	विकलांगजन शादी–विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	17.90	59
4	दुकान निर्माण/संचालन योजना	33.30	339
5	कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना	291.97	5028
6	शल्य चिकित्सा अनुदान योजना	726.02	138
7	दिव्यांगजन को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा	959.91	-

बिन्दु संख्या–13

निदेशालय द्वारा दी जाने वाली रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।

बिन्दु संख्या–14

किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों। एन०आई०सी० द्वारा सृजित विभागीय वेबसाइड www.uphwd.gov.in इन्टरनेट पर उपलब्ध है।

बिन्दु संख्या–15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयों जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।

बिन्दु संख्या–16

निदेशालय स्तर नामित प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, तथा अन्य विवरण।

क्र0सं0	नाम	पदनाम		कार्यालय पता
1.	श्री अमित कुमार सिंह	संयुक्त निदेशक	प्रथम अपीलीय अधिकारी	कक्ष संख्या–613 इन्दिरा भवन, छठवाँ तल, लखनऊ।
2.	श्री डी0पी0 वर्मा	प्रशासनिक अधिकारी	जनसूचना अधिकारी	कक्ष संख्या–1010 इन्दिरा भवन, दसवाँ तल, लखनऊ।

जनपद स्तर पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जनसूचना अधिकारी तथा समबन्धित मण्डलीय उप निदेशक, प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित होता है।

बिन्दु संख्या–17

अन्य विवरण